



केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (सिपेट)
कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सी.एस.टी.एस) - ग्वालियर

एयरपोर्ट के सामने, भिंड रोड, डांग महाराजपुरा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) - 474005

सिपेट : सीएसटीएस-ग्वा./ओ.एम./एससी-एसटी/2024-25/
CIPET:CSTS/GWL/OM/SC-ST/2024-25/

दिनांक 05.09.2024
Date : 05.09.2024

कार्यालय आदेश / Office order

विषय : सिपेट:सी.एस.टी.एस ग्वालियर में एस.सी-एस.टी समिति के पुनर्गठन के सम्बंध।

Sub. : Re-constitution of SC/ST Committee at CIPET: CSTS, Gwalior - reg.

यह समिति ए.आई.सी.टी.ई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य समिति का गठन किया गया है।

This committee is formed as per the guidelines of AICTE and Scheduled Caste & Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) act 1989, No.33 dated 11.09.1989, Committee for SC/ST is constituted to prevent offences of atrocities against the member of SC/ST.

Sl. No.	Name	Designation	Responsibility	Contact
1.	Mr. Sarvanan S.	Technical Officer	Member	91-9579902346
2.	Mr. Purshottam Ojha	Officer (P & A)	Member	91-9461328758
3.	Mr. Lakhan Singh	Asst. Tech. Officer	Member	91-9893344859
4.	Mr. Vijay Kumar Nagar	Admin Asst. Grade-I	Member	91-9926248400
5.	Mr. Ranjit Singh	MTS Gr-I	Member	91-9896594836

संबंधित कर्मचारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और उनके माता-पिता उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाली किसी भी शिकायत के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

Concerned employees, SC/ST students and their parents may hence forth approach the committee for SC/ ST for any complaint that falls under the purview of above act.



संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख
Joint Director & Head

To :-

1. सभी संबंधित / All Concerned
2. सूचना पट्ट / Notice Board